

उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-६

संख्या: ३०७०/७७-६-०२-४१(टेक्स्ट)०१

संख्या: दिनांक: ६/१/ २००३

भारत के संविधान के अनुच्छेद-१६२ के ऐन्तर्गत राज्य सत्राकार को दी गयी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुये शासनादेश संख्या: ३८०६/७७-६-२००२-४१ (टेक्स्ट)०१, दिनांक मार्च ११, २००३ के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश में मेगा इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहन देने तथा उपायदान के प्रारम्भिक वर्षों में कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने हेतु राज्यपाल नियमावली बनाते हैं:-

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-२००३

१. संक्षिप्त नाम
एवं प्रारम्भ:

१(१) यह नियमावली औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली, २००३ कही जाएगी।

१(२) यह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होगी।

१(३) यह दिनांक नवम्बर ६, २००३ से प्रवृत्त होगी।

परिमाण

क. 'विक्षी' की प्रधम तिथि' का तात्पर्य चार्टेड एकाउंटेंट से प्रमाणित, नये पूँजी निवेश के माध्यम से निर्मित माल की विक्षी की प्रधम तिथि से है।

ख. 'पूँजी निवेश' का तात्पर्य शून्य, भवन, स्लांट, मशीनरी तथा पूँजीगत परिस्तंत्रियों में किये नये ऐते निवेश से है जिसके माध्यम से निर्मित

माल की विक्षी की प्रधम तिथि दिनांक ११.३.०३ को या उसके बाद पड़ती हो।

ग. 'प्रत्र इकाई' का तात्पर्य ऐसी नई मेगा इकाई से है जिसके द्वारा निर्मित माल की विक्षी की प्रधम तिथि मार्च ११, २००३ को या उसके बाद पड़ती हो।

घ. 'मेगा इकाई' का तात्पर्य निम्न प्रकार की इकाईयों से है :-

(i) खाइप्र प्रस्तुकरण अथवा पशु सम्बद्ध आधारित ऐसी औद्योगिक इकाई जिसमें १० करोड़ रुपये या अधिक का पूँजी निवेश किया गया हो;

(ii) पूर्वाधान व दुन्देत्खण्ड में स्थापित ऐसी औद्योगिक इकाईयों जिनमें १० करोड़ रुपये या अधिक का पूँजी निवेश किया गया;

(iii) अन्य जनपदों में स्थापित तभी प्रकार की औद्योगिक इकाईयों जिनमें २५ करोड़ रुपये या अधिक का पूँजी निवेश किया गया हो।

इ. 'पूर्वाधान का तात्पर्य अनुत्तमक-१ में उल्लिखित जनपदों से है।

च. 'दुन्देत खण्ड का तात्पर्य अनुत्तमक-२ में उल्लिखित जनपदों से है।

उ. 'यांकिल विक्षय घन' का तात्पर्य पात्र इकाई द्वारा किये गये नये दुःजो निवेश से निर्मित माल की दिनांक ०१ अप्रैल अथवा यथानियत विक्षी की प्रधम तिथि से अर्द्धाम ३१ फरवरी की अद्यितीय में की गयी विक्षी से है।

ज. विक्षय का तात्पर्य विशेषज्ञ इफडन्हृष्ट एड इन्वेस्टमेंट काम्पनी रूपी, निहिटेड से है जो कम्पनी अधिनियम, १९५६ के तहन

- एक सरकारी कम्पनी है।
- अ. यू.पी.एफ.सी. का तात्पर्य उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कारपोरेशन से है जो राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा-3 के तहत गठित वित्तीय निगम है।
- ब. 'ऋण विवरण की तिथि' का तात्पर्य उस तिथि से है जिस दिन पिकप/यू.पी.एफ.सी. द्वारा इकाई को चेक उपलब्ध करा दिया जाय।
- ट. 'ऋण' शुगतान की तिथि' उस तिथि को माना जाएगा जिस दिन इकाई द्वारा पिकप/यू.पी.एफ.सी. को बैंक इफ्ट उपलब्ध करा दिया जाय।
- ठ. 'घर्ष' का तात्पर्य दिनांक 01 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि से है।
३. व्याज मुक्त ऋण पात्र इकाइयों द्वारा नये दूर्जी निवेश से निर्मित मात की विज्ञी की प्रथम तिथि से 10 वर्ष तक होगी।
४. ऋण की सीमा: किसी वर्ष में ऋण की सीमा प्रस्तर 5(4) के प्राविधान के अनुत्प प होगी जो किसी भी दश में इकाई द्वारा उस वर्ष के वार्षिक विक्रय-धन पर उत्तर प्रदेश व्यापार-कर अधिनियम तथा केन्द्रीय विक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत शुगतान किये गये कर के योग की घनराशि अद्या उस वर्ष के वार्षिक विक्रय धन के 10 प्रतिशत, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।
५. ऋण स्वीकृति 5(1) प्रत्येक वर्ष की समाप्ति की अविन 30 दिनांकर तक पात्र इकाई व्याज तथा वसूली की मुक्त ऋण हेतु प्रार्थना पत्र तथा अपने वार्षिक विवरण पत्रों की ढार्ट प्रक्रिया: एफाउन्ट जो प्रतियों पिकप/यू.पी.एफ.सी. को देंगे। पिकप द्वारा दिल्ली पोस्ट इकाइयों व्याज मुक्त ऋण हेतु प्रार्थना पत्र पिकप को देगा तथा शेष इकाइयों द्वारा ऐसा प्रार्थना पत्र यू.पी.एफ.सी. को दिया जाएगा। पात्र इकाई प्रार्थना पत्र देने के पूर्व स्वीकृत व्यापार कर तथा केन्द्रीय विक्रीकर की घनराशि नियमनुसार रजिस्टर कोर्ट नाम में जन करेंगे।
- ५(2) पिकप/यू.पी.एफ.सी. पात्र इकाई को नये दूर्जी निवेश के माध्यम से निर्मित मात के उस वर्ष के वार्षिक विक्रय धन पर प्रस्तर 5(4) के प्राविधानों के अनुसार अलगीत घनराशि अद्या उस वर्ष के वार्षिक विक्रय धन पर शुगतान किये गये दाता प्रदेश व्यापार कर तथा केन्द्रीय विक्रीकर के दोनों की घनराशि अद्या उस वर्ष के वार्षिक विक्रय धन के 10 प्रतिशत, जो भी कम हो, के समतुल्य घनराशि व्याज मुक्त ऋण के लिए में स्वीकृत करेंगे।
- ५(3) प्रवन्ध निरेशक पिकप / यू.पी.एफ.सी. का यह दायित्व होगा कि व्याज मुक्त ऋण हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों का नित्याण प्रार्थना पत्र के प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर कर दिया जाए। प्रार्थना पत्र अस्वीकरण किये जाने की दशा में अस्वीकरण के कारणों का उत्तोष करते हुये इकाई को अधिक एक सप्ताह में लिखित रूप से सूचित कर दिया जाएगा। अस्वीकरण के विनाश इकाई स्वीकृत औद्योगिक विकास योग्य को प्रार्थना पत्र दे तड़पी है जिस पर नियंत्र प्रत्तर-12 में गठित संभिति द्वारा इकाई को तुनवाई का अद्यता देने के द्वाद तिथि जाएगा।
- ५(4) व्याज मुक्त ऋण के प्रतिशत का निर्धारण इकाई के नये दूर्जी निवेश व ऐसे दूर्जी निवेश से निर्मित मात के वार्षिक विक्रय धन के अनुपत के आधार पर उस वर्ष के वार्षिक विक्रय धन पर शुगतान किये गये उत्तर प्रदेश व्यापार-कर तथा केन्द्रीय विक्रीकर के योग की संखा वे रहते हुए नियन भागी होंगे।

के अनुसार किया जाएगा जो किसी भी दशा में वार्षिक विक्रय धन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

रप्ते (करोड़ में)

सारणी (परिकल्पित औंकड़े)

	पूजी निवेश	वार्षिक विक्रय धन	पूजी निवेश / वार्षिक विक्रय धन का अनुपात	बाज मुक्त क्रण (वार्षिक विक्रय धन के प्रतिशत के रूप में)
	10.00	10.00 या कम	10 : 10 या उससे कम	$5 \times 10 / 10 = 5\%$ प्रतिशत
	10.00	12.00	10 : 12	$5 \times 12 / 10 = 6\%$
	10.00	15.00	10 : 15	$5 \times 15 / 10 = 7.5\%$
	10.00	20.00 या अधिक	10 : 20	$5 \times 20 / 10 = 10\%$

- 5(5) बाज मुक्त क्रण की सुविधा का लाभ उठाने के पश्चात क्रण मुनाफ़ा की अतिम तिथि के अन्ते 5 वर्ष तक इकाई दंद न कर दी जाये इस हेतु व्यवस्था एम.ओ.यू. के मार्गम से पिकप / यू.पी.एफ.टी. द्वारा की जायेगी।
- 5(6) पिकप/यू.पी.एफ.टी. बाज मुक्त क्रण स्वीकृति आदेश को प्रति औद्योगिक विक्रीत व्यापार इकाई को फेरेंगे। दुन्देशखण्ड व पूर्वान्वय में स्पष्टित होने वाली इकाईयों के स्वान्वय में योजनानापत्रि क्रण हेतु घनराशि दुन्देशखण्ड व पूर्वान्वय विकास निधि से उपलब्ध कराई जायेगी एवं केवल अन्य जनपदों में स्पष्टित होने वाली इकाईयों हेतु आवश्यक धनराशि औद्योगिक विकास विभाग आवश्यकतानुसार पिकप/यू.पी.एफ.टी. को उपलब्ध करायेगे।
- 5(7) पिकप/यू.पी.एफ.टी. को स्वीकृत क्रण राशि लेखा शीर्षक वित्त विभाग द्वारा बाद में आवंटित वित्त जाएगा।
- 5(8) प्रत्येक वर्ष व्यूत हुये क्रण तथा इकाई के उसी वर्ष में उपरोक्त क्रण लेखा शीर्षक के प्रति इस में ज्ञान किया जायेगा।
- 5(9) औद्योगिक विकास विभाग उपरोक्त क्रण लेखा शीर्षक के नियंत्रक व प्राप्तकलन अधिकारी होंगे। इह लेखा शीर्षक के बजट तथा पुनरीक्षित अनुग्रह प्रस्तावित करेंगे तथा आवश्यकतानुसार अनुसूचि मांग का प्रस्ताव करेंगे।
- 5(10) वित्तीत किये गये क्रण की वास्तवी क्रण वितरण की तिथि के 7 वर्ष की जनाति की दौल बाद की तिथि तक पात्र इकाई द्वारा पिकप/ यू.पी.एफ.टी. की दैंक डाक्ट के मार्गम से की जाएगी।
- 5(11) निधानित अवधि में क्रण की राशि बाहत न करने पर पात्र इकाई को देने की अवधि के हिये 1.25 प्रतिशत प्रति वाह की दर से संतारण व्याप देना होगा। प्रत्येक वाह अधवा उत्के भाग को इस हेतु एक वाह माना जायेगा।
- 5(12) बाज मुक्त क्रण योजना के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये इकाई द्वारा वापत की गई घनराशि का मुजाह पहले मूलधन में किया जाएगा। उत्के पश्चात अध्यैप घनराशि का मुजाह देव व्याज लेटि कोई हो, मैं किया जाएगा।
- 5(13) पात्र इकाई अपनी जागरूकताओं पर पिकप/यू.पी.एफ.टी. के पश्च में प्रश्न अथवा छिर्ण्य प्रभार उत्पन्न करेंगे जो क्रण की घनराशि की मुख्य के जिये पदार्थ हो। पिकप/यू.पी.एफ.टी. युक्तद्वारा कामों को अविवासित करते

हुये छिंतीय चार्ज के अतिरिक्त पात्र इकाई के लालेदारों, निदेशकों से अतिरिक्त जुगातन अथवा पर्सनल-बॉण्ड मांग सकते हैं।

5(14) निर्धारित तिथि पर भुगतान न किये जाने की दशा में पिकप/यू.पी.एफ.सी. पात्र इकाई को कारण बताओ नोटिस देये तथा संतोषजनक उत्तर न प्राप्त होने पर इकाई के विस्तृद्व बजाय घनराशि की 'मूराजत्व' के रूप में बसूली हेतु 'वसूली प्रमाण-पत्र' जारी करेगे तथा आवश्यकतानुसार न्यायालय में बाद भी दायर करेंगे या अन्य समुचित विधिक कार्यवाही करेंगे व लिमिटेड कम्पनी की दशा में उत्तरी चाइनिंग-अप के लिये सक्षम न्यायालय से अनुरोध करेंगे।

5(15) पिकप/यू.पी.एफ.सी. द्वारा अधिकृत अधिकारी पात्र इकाई को फैक्ट्री, दुकान, गोदाम वाहने तथा अभिलेखों का निरीक्षण कर सकते हैं जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि इकाई द्वारा योजना की शर्तों का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है।

5(16) इस योजना के अन्तर्गत व्याज मुक्त ऋण की सुविधा उर्वरी पात्र इकाई को स्वीकृत की जाएगी जो राज्य एवं क्रेड सरलार के भुगतान में वित्तियि (डिफोल्टर) न हों तथा इस संघर्ष में आवश्यक प्रमाण पत्र उनके द्वारा पिकप/यू.पी.एफ.सी. को उपलब्ध कराया जाए।

6 प्रतिवर्णन
पात्र इकाई पर प्रतिवर्णन होगा कि वह दिना पिकप/यू.पी.एफ.सी. के पूर्व लिखित स्वीकृति के न तो इकाई के 'व्होल्डून्डून', फैक्ट्री तथा पर्सनल कार्यालय में प्रतिरक्षण करेंगे और न ही इकाई अपनी परिसम्पत्तियों को बेचेंगी, कियाये पर देंगे या परिसम्पत्ति के स्वामित्व में कोई परिवर्तन करेंगी।

7 शर्त-6
उल्लंघन
प्रभाव
के यदि पात्र इकाई द्वारा उपरोक्त प्रस्तर-6 की किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता का है अथवा गलत तथ्य उपलब्ध कराये जाते हैं तो पिकप/यू.पी.एफ.सी. को इकाई को भुगतान का जपतर देने के पर्याप्त स्वीकृत ऋण निरस्त करने का अधिकार होगा तथा ऐसे अदेश की प्राप्ति विधि को लक्ष्य अवश्य घनराशि देय हो जायेगी अपशेषण क्रप के भुगतान में दरों को दरां वे पात्र इकाई का देय होने की विधि तथा बाल्टिक भुगतान की विधि को आधिकारित करेगी। 1.25 प्रतिशत प्रति घात की दर से साधारण व्याज की दरें दर रहेगी।

8 पात्र इकाई के ऋण देयता की जरूरि वे, पात्र इकाई के लिये नियमित व्यवस्था आवश्यक होगी :-


I. उन तभी अनुबन्ध तथा अनिलेखों को निषादित किया जायेगा जो पिकप/यू.पी.एफ.सी. के सतानुसार आवश्यक हो।

II. वह तभी सूचनाये दिक्प/यू.पी.एफ.सी. को उपलब्ध करायी जायेगी, जो उनके द्वारा अदेश की जायेगा।

9 न्यायालय
क्षेत्राधिकार
के किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में केवल लखनऊ में विशेष न्यायालयों ने ही बाद दायर किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में पिकप/यू.पी.एफ.सी. द्वारा इकाई को 'जन्डर लैटिफिल्ट ऑफ' प्रोट्रिनग ते बनाई नयी सूचना/ नोटिस आदि विचारकृत मंडल मानी जायेगी। व्याज भुगतान वाले जाने वाले सर्वे व्यव जिनमें पिकप/यू.पी.एफ.सी. निषादित करने में आवे याने व्यव त्रैन भुगता अधिकारी लोनमूर शुल्क व अन्य अनुपयोग व्यव प्रत्यायत है। द्वारा इकाई द्वारा आंगन आप जो दें होगा।

10 व्यव भाग

- 1 अनुबन्ध
 2 समस्याओं
 समाधान
 योजना
 अनुश्रवण
- इस नियमावली के प्रतिबंध / प्राविधान लागू करने के लिये पात्र इकाई पिकप
 / यू.पी.एफ.सी. के साथ अनुबन्ध निवादित करेगी।
- का i. इस योजना के किसी बिन्दु पर शंका निवारण अथवा समस्या समाधान हेतु आदेश
 तथा औद्योगिक विकास विभाग द्वारा जारी किया जायेगा।
- का ii. इस योजना के अन्तर्गत कार्यवाही का अनुश्रवण सचिव औद्योगिक विकास विभाग
 की अध्यक्षता में गठित एक समिति करेगी जिसमें निम्न सदस्य होंगे-
 क. सचिव, प्रित्त
 ख. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग एवं अधिशती निदेशक, उद्योग बन्धु।
 ग. प्रबन्ध निदेशक, पिकप।
 घ. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रित्तीय नियम।



उम्जा से,
 (रकेशः संघ)
 सचिव,
 औद्योगिक विकास विभाग

जनुलालक-१

प्रदीप्ति

संख्या	जनपद का नाम
1.	वाराणसी
2.	चन्दौली
3.	गाजीपुर
4.	जौनपुर
5.	मिहारपुर
6.	सोनमढ़
7.	सत्र रघुदास नगर
8.	गोरखपुर
9.	महाराष्ट्रगंज
10.	देवरिया
11.	झुंडीनगर
12.	कलत्ती
13.	सत्र क० नगर
14.	तिक्कार्पनगर
15.	ज्याजनगढ़
16.	मउ
17.	बतिया
18.	इलाहाबाद
19.	कोसाम्बी
20.	फतेहपुर
21.	प्रतापगढ़
22.	केजाहाद
23.	अन्देकरनगर
24.	शासनकी
25.	झुत्तानपुर
26.	गोणठा
27.	इतरमुरु
28.	कठाइन
29.	कालसंसी